न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2019 GCMS NO. 2019/00238
दायरा तिथि : 03.07.2019
आदेश तिथि : 2-8-2021

प्रार्थीगण :–

1. जगाराम गोद पुत्र भगाराम
2. सुजाराम पुत्र उगाराम
3. पेमाराम पुत्र भेराराम
4. भीकाराम पुत्र सेसाराम
5. अगराराम पुत्र रताराम
6. जीवाराम, चेनाराम, लखमाराम पिरारान् भेराराम तमाम निवासीगण बेरा करणीवाला
7. कीकाराम पुत्र बुद्धाराम जाति सीरवी निवासी बेरा कुम्हारोवाला
   तमाम जाति से सीरवी नि0 बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 2-8-2021

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियन, 2012 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 कुल रकबा 6.25 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 1891/3658 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे से संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2020/2367 दिनांक 11.11.2020 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 1892 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1893 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1894 रकबा 1.14 हैक्टर व खसरा नंबर 1896 रकबा 2.16 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि श्री कूपाराम पुत्र सेसाराम 1/35 हि., कीकाराम पुत्र बुद्धाराम 2/3 हि., चेनाराम पुत्र भेराराम 1/27 हि., जबाराम पुत्र भगाराम 1/27 हिस्सा वगैरा का जमाबंदी में सह खातेदार के रूप में दर्ज है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे जाने जाने हेतु सरकारी भूमि ख.न. 1891/3658 मे से भूमि प्रभावित होगी।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1891/3658	0.22 हैक्टर	बारानी अव्वल	85 X 8 = 680 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

पेज लगातार..02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 25/2019 GCMS NO. 2019/00238

अनवान जगाराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी.दर 125640/– रूपये प्रति बीघा है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते रास्ते के क्षेत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है। खसरा नंबर 1891/3658 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि बाली आबादी व सडक से लगभग दो किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उक्त भूमि खेतो पर जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/2020/2367 दिनांक 11.11.2020 से प्रेषित जांच अभिशंषा/भू.अ. निरीक्षक बाली व पटवारी हल्का, बाली की मौका जांच के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 1892 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1893 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1894 रकबा 1.14 हैक्टर व खसरा नंबर 1896 रकबा 2.16 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 1891/3658 किस्म बारानी अव्वल मे से **85 X 8 = 680** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 125640/– प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1891/3658	0.22	85 X 8 = 680 वर्गमीटर	78.53	53397 X 2 = 106794	राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **106794/– (अक्षरे एक लाख छः हजार सांत सौ चौराणवे रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री [illegible] प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 18-8-2021

पत्रांक : कोर्ट/2021/

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बाली
3. पटवारी हल्का बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदकगण जगाराम गोद पुत्र भगाराम जाति सीरवी नि. बाली वगैरा को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner